

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 240]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 20 अगस्त 2024—श्रावण 29, शक 1946

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश  
कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य सभा उप-निर्वाचन, मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक 20 अगस्त, 2024 ( श्रावण 29, 1946 )

### निर्वाचन की सूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राज्य सभा के एक स्थान की पूर्ति हेतु उप-निर्वाचन

क्र. विधान-रा.स.-निर्वा.-2024(2).—एतद्वारा सूचना दी जाती है कि,—

- (1) यतः, आयोग ने अपनी अधिसूचना सं. 100-रा.स.-मध्यप्रदेश-08-2024-(1), दिनांक 14 अगस्त, 2024 के जरिए मध्यप्रदेश से राज्य सभा के लिए उप-निर्वाचन का कार्यक्रम अधिसूचित किया था; और
- (2) यतः, उपर्युक्त निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि 26 अगस्त, 2024 नियत की गई थी; और
- (3) यतः, मध्यप्रदेश सरकार ने अधिसूचना दिनांक 14 अगस्त 2024 के जरिए 26 अगस्त 2024 को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के अंतर्गत सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया था जो मध्यप्रदेश से राज्य सभा के लिए चल रहे उप-निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए नियत की गई अंतिम तिथि भी है;
- (4) यतः, आयोग ने मामले पर विचार करने के बाद, उक्त निर्वाचन के लिए अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तिथि को 27 अगस्त 2024 के रूप में पुनर्निर्धारित किया है;
- (5) इसलिए, कार्यालय, रिटर्निंग ऑफिसर, राज्य-सभा उप-निर्वाचन, मध्यप्रदेश द्वारा जारी निर्वाचन की सूचना क्रमांक विधान-रा-स-निर्वा.-2024(2) में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है; अर्थात्:—

निर्वाचन की सूचना के खण्ड (5) में मौजूदा प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाती हैं,—

“(5) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना अभ्यर्थी या उसके प्रस्थापक या उसके निर्वाचन अधिकर्ता द्वारा, जो अभ्यर्थी द्वारा उसे परिदत्त करने के लिए लिखित में प्राधिकृत किया गया हो, ऊपर पैरा (2) में विनिर्दिष्ट ऑफिसरों में से किसी को उसके कार्यालय में दिनांक 27 अगस्त, 2024 (मंगलवार) को 3.00 बजे अपरान्ह्य से पूर्व परिदत्त की जा सकेंगी;”

स्थान : मध्यप्रदेश विधान सभा भवन, भोपाल ।

दिनांक : 20 अगस्त, 2024 (श्रावण 29, 1946)

अरविन्द शर्मा, रिटर्निंग ऑफिसर.

OFFICE OF THE RETURNING OFFICER, COUNCIL OF STATES BYE-ELECTION, MADHYA PRADESH

**Bhopal, the 20<sup>th</sup> August, 2024 (Sravana 29, 1946)**

NOTICE OF THE ELECTION

**Bye-Election to the Council of State by the elected members of Madhya Pradesh Legislative Assembly to fill a vacancy in the Council of States.**

No. Vidhan-R.S.Nirva.-2024(2).—Notice is hereby given that,—

- (1) WHEREAS, the Commission, *vide* its Notification No. 100-CS-MP-08-2024(1), dated 14<sup>th</sup> August, 2024, had notified the schedule for bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and
- (2) WHEREAS, the last date for withdrawal of candidatures is respect of State of Madhya Pradesh for the above election was fixed as 26<sup>th</sup> August, 2024; and
- (3) WHEREAS, the Government of Madhya Pradesh *vide* Notification dated 14<sup>th</sup> August 2024 declared 26<sup>th</sup> August, 2024 a public holiday under N.I.Act, 1881 which is also the date fixed for last date of withdrawal for candidatures for the ongoing bye election to the Council of States from Madhya Pradesh; and
- (4) WHEREAS, the Commission, after taking into consideration the matter, has decided to reschedule the last date for withdrawal of candidatures for the said election to 27<sup>th</sup> August, 2024;
- (5) Now, therefore, the following amendment is made in the Notice of the Election, *vide* No. Vidhan-R.S. Nirva-2024 (2), dated 14<sup>th</sup> August, 2024; namely :—

For the existing entries in clause (5), the following entry is substituted,—

- "(5) notice of withdrawal of candidature may be delivered by the candidate or his proposer or his election agent, who has been authorised in writing by the candidate to deliver it, to either of the Officers specified in paragraph (2) above at his Office before 3.00 p.m. on the 27<sup>th</sup> August, 2024; and"

**Place :** Madhya Pradesh Vidhan Sabha Bhawan, Bhopal

**Date :** the 20<sup>th</sup> August, 2024 (Sravana 29, 1946)

ARVIND SHARMA, Returning Officer.